Contract by NPCC

1466. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to over-booking with construction job, National Project Construction Corporation (NPCC), a Government undertaking under his Ministry, are not in a position to execute contracts themselves and have, threfore been resorting to securing major contracts for distribution of the job on sub-contract to private parties and earning thereby a "Middleman" margin;

(b) if so, the names and value of the projects booked and executed by NPCC and the names of the project and value awarded to sub-contractors during the last three years;

(c) whether by assuming the role of "middleman" NPCC have been causing increase in the project costs; and

(d) what is the justification of securing projects by NPCC beyond its capacity to execute?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) It is not a fact that due to over-booking of construction jobs, NPCC is not in a position to itself execute contracts and is securing major contracts for sub-letting them to private parties as a "middleman".

Most of the works are carried out by NPCC with its own equipment and manpower. Some works such as those in areas of specialisation which involve use of special equipment and techniques/skills, works as per agreements with clients and some works of short duration involving high financial constraints are sublet. The value of such works amounted to Rs.35.08 crores, which comes to about 9.9 per cent of the total works bagged by the NPCC, during the last three years.

(b) to (d) Do not arise.

टेलीफोन आपरेटरों के खिलाफ कार्यवाही

1467. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे कितने टेलीफोन आपरेटर दोषी पाये गए जिन्होंने एस० टी० डी० सुविधा न रखने वाली लाइन को एस० टी० डी० सुविधा रखने वाले टेलीफोन नम्बरों के खंबों पर लगे टेलीफोन बक्सों के साथ जोड़कर अमानधिकृत रूप से एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान की ;

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) एक मामला इस वर्ग में आता है जिसकी जांच कर ली गई है ।

(ख) सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ।

(ग) इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं । डीपो बक्सों और पिलरों को ताले के अंदर रखा जाता है। इन तालों की चाबियां पर्यवेक्षकीय अधिकारियों की अभिरक्षा में रखी जाती है ।

उच्चाधिकारियों और सतर्कता उड़न-दस्तों द्वारा आकस्मिक जांच पड़ताल की जाती है । लगातार निरीक्षण किए जाते हैं ।

उच्च काल दर वाले उपभोक्ताओं के मीटर-पठन को मानीटर किया जाता है । डीपो बक्सो को खंभों पर पर्याप्त ऊंचाई पर लगाया जाता है । केवल प्राधिकृत स्टाफ को एम डी एफ कक्ष में प्रवेश करने दिया जाता है ।